(132)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 885–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–4–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 21/पुर्न/2005–06.

सलमा पुत्री शम्भूशरण पटेल (विद्यावाई पुत्री स्व0 धनियाबाई)
जरिए वली संरक्षक शम्भूप्रसाद पटेल
तनय रामकरण पटेल
निवासी हिनौता कला तहसील मैहर
जिला सतना म0प्र0

———— आवेदक

विरूद्ध

1. श्यामबाई पुत्री दद्दी पत्नी गोविंद पटेल
निवासी हिनौतीकला तहसील मैहर जिला सतना
2. कैलाश तनय दद्दी पटेल पत्नी गोविन्द पटेल
सा0. हिनौतीकला तह0 मैहर जिला सतना म0प्र0
(मृत) वारिस मौजूद
अ– बेवा यशोदाबाई पत्नी कैलाश
ब– पन्नालाल तनय कैलश
गृडसू तनय कैलाश
निवासी हिनौताकला तहसील मैहर सतना

———— अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश बेलापुर, अभिभाषक अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/07/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 29–4–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत के द्वारा दिनांक 25–10–99 को अनावेदक कमांक 1 व 2 के पक्ष में वारिसाना व तत्पश्चात बटवारा आदेश पारित किया गया जिस आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी मैहर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 24–9–01 को अपील निरस्त की। इसके पश्चात अपर आयुक्त रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 28–2–2006 से अपील प्रचलन योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त की। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध पुर्नविलोकन आवेदन पेश किया गया जो आदेश दिनांक 29–4–2006 के द्वारा निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि प्रश्नाधीन भूमि की मूल भूमिस्वामी धनियाबाई थी। धनियाबाई की दो पुत्री और एक पुत्र था। पहली पुत्री अनावेदक कमांक 1, पुत्र अनावेदक कमांक 2 एवं दूसरी पुत्री आवेदिका की मां विद्याबाई थी जो फौत हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिवत इश्तहार के और बिना किसी कोइ सूचना के अनावेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित कर दिया। आवेदिका प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस थी परन्तु बिना उसको पक्षकार बनाये एवं सूचना दिये अनावेदकगण के पक्ष में वारिसाना नामांतरण करने में त्रुटि की है। जानकारी होने पर जब आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तो अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समयबाधित मानकर निरस्त करने में त्रुटि की है। यह भी दिया कि अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने उसे पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील का प्रावधन न होने से निरस्त करने में त्रुटि की है

तथा आवेदिका के पुर्नविलोकन को भी निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है। विवादित भूमि का नामांतरण ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा संहिता की धारा 110 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत किया गया था। चूंकि नामांतरण के अविवादित मामले में राजस्व निरीखक को शक्ति दी गई थी लेकिन उक्त नामांतरण विवादि से रहित होने चाहिये। अब ग्राम पंचायत को धारा 24 के अन्तर्गत टिप्पणी अ–19 तथा अ–41 जिसमें म0प्र0 पंचायत राजस्व अधिनियम 1993 के आधीन गठित ग्राम पंचायतो को अपील अधिकारिता के भीतर अविवादित नामांतरण के संबंध में शक्तियां प्रदान की गई थी। किन्तु ग्राम पंचायत के सरपंच को ग्राम पंचायत राज अधिनियम के अधीन गठित ग्राम पंचायतों को अधिकारिता म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत दी गई है। इसी कारण आवेदिका द्वारा ग्राम पंचायत के नामांतरण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई थी। अपर आयुक्त ने पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश मानकर द्वितीय अपील का प्रावधान न होना मानकर अपील निरस्त करने में अनियमितता की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार को विधिवत वारिसाना नामांतरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपील पंचायत राज अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपील करने की अवधि 30 दिन है। एक साथ बाद जानकारी होना बताया गया है। नकल मिलने के 32 दिन बाद अपील प्रस्तुत की गई थी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिए थी। यह भी तर्क दिया कि ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश उचित हैं। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष वारिसाना नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें आवेदक के हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद भी उसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया था। आवेदक को विधिवत सूचना भी जारी किया जाना अभिलेख से परिलक्षित नहीं है। जहां तक ग्राम पंचायत के नामांतरण अधिकार का प्रश्न है, अविवादित नामांतरण के अधिकार ग्राम पंचायत को शासन द्वारा प्रदान किये गये थे। ग्राम पंचायत को नामांतरण के सीमित अधिकार प्रदान किये गये हैं। जहां नामांतरण में विवाद की स्थिति निर्मित हो वहां प्रकरण तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा पंजी पर पारित आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय–सीमा के बिन्दु पर निरस्त किया है। जहां आदेश की वैधानिकता पर प्रश्न उत्पन्न किया जा रहा हो वहां तकनिकी बिन्दु पर किसी प्रकरण का निराकरण नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता है। अपर आयुक्त द्वारा पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही मानकर अपील को प्रचलनशील नहीं मानने में त्रुटि की है क्योंकि जब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील में चुनौती दी गई थी तब अपर आयुक्त को गुण–दोषों पर आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण को प्रचलनशील न मानते हुये निरस्त करने में त्रुटि की है और पुर्नविलोकन आवेदन भी निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है। तीनों ही न्यायालयों द्वारा इस वैधानिक बिन्दु पर विचार नहीं किया कि मूल भूमिस्वामी धनियाबाई की मृत्यु के उपरांत उसके विधिक वारिस रिकार्ड पर उपलब्ध है

अथवा नहीं और विधिक वारिसों के नाम वारिसाना नामांतरण हुआ है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों विधिसम्मत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के सभी आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार मैहर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि मृतक भूमिस्वामी धनियाबाई के विधिक वारिसों को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत नामांतरण नियमों के पालन करते हुये प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर